राजेंद्र नरोत्तमदास शेठ और अन्य।

बनाम

चंद्र प्रकाश जैन एवं अन्य।

(सिविल अपील न. 4222/2020)

सितंबर 30, 2021

[ऐल. नागेश्वर राव, बी.आर.गवई, बी.वी.नागरत्ना, जे जे.]

न्यायालय का निर्णय

एल नागेश्वर राव, जे. के द्वारा सुनाया गया

1. प्रतिवादी संख्या 2 ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद 'संहिता'के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, अहमदाबाद पीठ (इसके बाद 'एनसीएलटी' या 'न्यायनिर्णयन पदाधिकारी' के रूप में सन्दर्भित) के द्वारा 01.06.2020 को स्वीकार कर लिया गया । अपीलकर्ता, जो आरके इंफ्राटेल लिमिटेड (बाद में 'कॉर्पोरेट देनदार' के रूप में संदर्भित) के बोर्ड के निलंबित निदेशक हैं, ने एक अपील दायर की जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली (इसके बाद 'एनसीएलएटी' के रूप में संदर्भित) ने खारिज कर दिया। अत: यह अपील किया गया है|

2. कॉर्पोरेट देनदार सूरत, अहमदाबाद, वापी, सिलवासा, अंकलेश्वर और दक्षिण गुजरात में, और कॉर्पोरेट संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों को समर्पित डार्क फाइबर, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट लीज्ड लाइन, वीपीएन, पॉइंट-टू-पॉइंट, वाई-फाई और वाईमैक्स कनेक्शन और सीसीटीवी निगरानी सेवाएं प्रदान करता है। . प्रतिवादी संख्या 2, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद 'बैंक' या 'वित्तीय ऋणदाता' के रूप में संदर्भित), ने 4.5 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जिसका भुगतान कॉर्पोरेट देनदार द्वारा 08.12.2012 को कर दिया गया। वित्तीय ऋणदाता द्वारा एक और ऋण 3.5 करोड़ रुपये का दिया गया जिसका भुगतान भी 28.05.2018 को कर दिया गया। इसके बाद, वित्तीय ऋणदाता द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को ऋण दिए गए लेकिन कॉर्पोरेट देनदार समय पर वित्तीय ऋणदाता का बकाया चुकाने में असमर्थ रहा। 30.09.2014 को, कॉर्पोरेट देनदार के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। वित्तीय ऋणदाता ने 01.10.2014 को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा देय सभी बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस के अनुसार, वित्तीय ऋणदाता ने बकाया राशि की वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण की अहमदाबाद पीठ के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जो अभी भी विचाराधीन है।

3. 25.04.2019 को, वित्तीय ऋणदाता ने संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे 01.06.2020 को स्वीकार कर लिया गया। वित्तीय ऋणदाता ने संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन में कहा

कि कॉर्पोरेट देनदार पर 31.03.2019 तक 24.62 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। वित्तीय ऋणदाता ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 07.04.2016 का डेबिट शेष पुष्टिकरण पत्र भी शामिल है। दूसरी ओर, कॉर्पोरेट देनदार ने तर्क दिया कि आवेदन काल-बाधित था। कॉर्पोरेट देनदार द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि वित्तीय ऋणदाता द्वारा दायर धारा 7 के तहत आवेदन कानूनी रूप से अस्थिर है, क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दाखिल प्रति दावा सहित ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष अन्य कार्यवाही अभी भी विचाराधीन थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच करने के बाद, निर्णायक प्राधिकारी ने दिनांक 01.06.2020 के एक आदेश द्वारा माना कि धारा 7 के तहत आवेदन समय सीमा से वर्जित नहीं था। निर्णायक प्राधिकारी ने उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दिनांक 07.04.2016 के डेबिट बैलेंस पुष्टिकरण पत्र और 07.04.2016 के बाद मई, 2018 तक की गई नियमित क्रेडिट प्रविष्टियों का उल्लेख किया। कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दिनांक 17.11.2018 के एक पत्र में 30.09.2018 तक चुकाई गई राशि का विवरण और 30.09.2018 तक बकाया राशि को स्वीकार करने की बात भी एनसीएलटी द्वारा संदर्भित किया गया। इसके अलावा, कॉर्पोरेट देनदार के जवाब पर भरोसा किया गया जिसमें 16.17 लाख रुपये की राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वीकार किया गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कॉर्पोरेट देनदार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वित्तीय ऋणदाता की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा दायर किया गया आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था।

4. कॉर्पोरेट देनदार ने अपना रुख दोहराया कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन एनसीएलएटी के समक्ष काल बाधित था। कॉर्पोरेट देनदार के अनुसार, उसके खाते को एनपीए घोषित किए जाने के बाद उसके द्वारा बैंक को किए गए भुगतान की सीमा अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। कॉर्पोरेट देनदार द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 (इसके बाद ' लिमिटेशन एक्ट ' के रूप में संदर्भित) की धारा 19 को आकर्षित करने के लिए "कट बैक ऑफर" को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। कॉरपोरेट देनदार की ओर से दलील दी गई कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 18 भी इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है. कॉर्पोरेट देनदार का आगे का तर्क यह था कि संहिता की धारा 7 के तहत दाखिल आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी संहिता के लागू होने से पहले और संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए किसी विशिष्ट अनुमति के बिना प्रदान की गई थी, इसलिए, आवेदन पोषणीय नहीं था।

5. एनसीएलएटी ने बैंक द्वारा श्री प्रवीण कुमार गुप्ता को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच की और कॉर्पोरेट देनदार के तर्क में कोई योग्यता नहीं पाई कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन कायम रखने योग्य नहीं था क्योंकि यह पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा दायर किया गया था। जहां तक समय सीमा का सवाल है, एनसीएलएटी ने सभी दस्तावेजों के साथ-साथ "कट बैक व्यवस्था" का भी हवाला दिया, जिस पर एनसीएलटी ने भरोसा किया था कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन निर्धारित समय के भीतर दायर किया गया था। एनसीएलएटी द्वारा आगे यह देखा गया कि कॉर्पोरेट देनदार न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि प्रदर्शित नहीं कर सका। तदनुसार, एनसीएलएटी ने कॉर्पोरेट देनदार की अपील खारिज कर दी।

6. मूलतः, इस अपील में विचार के लिए दो मुद्दे हैं। पहला, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा दायर संहिता

की धारा 7 के तहत आवेदन की पोषकता से संबंधित है। दूसरा काल बाधित होने के प्रश्न से संबंधित है।

पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा दायर किए जाने पर धारा 7 के तहत आवेदन की पोषणीयता

7. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राणा मुखर्जी ने निवेदन किया कि संहिता की धारा 7 के तहत वित्तीय ऋणदाता की ओर से दायर आवेदन पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर था। उन्होंने पालोजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 1 में एनसीएलएटी के द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया जिसमें यह माना गया था कि एक 'अधिकृत व्यक्ति', 'पावर ऑफ अटॉर्नी धारक' से अलग, धारा 7 के तहत एक आवेदन दाखिल कर सकता है और 'पावर ऑफ अटॉर्नी धारक' किसी वित्तीय ऋणदाता की ओर से आवेदन दायर करने में सक्षम नहीं है। श्री मुखर्जी के अनुसार किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन दाखिल करने में हुई त्रुटि का इलाज संभव नहीं है| यह मानते हुए कि इसे ठीक किया जा सकता है, वित्तीय ऋणदाता संहिता की धारा 7 (5) के तहत निर्धारित समय के भीतर दोष को ठीक करने में विफल रहा , 22.01.2020 को न्यायिक प्राधिकरण द्वारा वित्तीय ऋणदाता को समय देने के आदेश के बावजूद। उन्होंने निवेदन किया कि जिस व्यक्ति ने संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया है, वह वित्तीय ऋणदाता का अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है और इसलिए, आवेदन खारिज किया जाना चाहिए।

8. दूसरी ओर, वित्तीय ऋणदाता ने तर्क दिया कि पावर ऑफ अटॉर्नी श्री प्रवीण कुमार गुप्ता के पक्ष में निष्पादित की गई थी, जिसका निर्णय निर्णयाक प्राधिकारी और एनसीएलएटी दोनों ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए किया था कि आवेदन अधिकृत व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था। वित्तीय ऋणदाता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आलोक कुमार ने भी पैलोगिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर में दिए फैसले पर भरोसा किया और तर्क दिया कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर कर सकता है।

9. एक वित्तीय ऋणदाता द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत संहिता की धारा 7 के तहत की जाती है। धारा 7 (2) में प्रावधान है कि वित्तीय ऋणदाता ऐसे प्रारूप और तरीके से और ऐसे शुल्क के साथ आवेदन करेगा जो निर्धारित किया जा सकता है। दिवाला और दिवालियापन (निर्णयन प्राधिकारी के लिए आवेदन) नियम, 2016 (इसके बाद, '2016 नियम') के नियम 4 के अनुसार, वित्तीय ऋणदाता को धारा के तहत कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन प्रपत्र 1 में संहिता के 7, उसमें आवश्यक दस्तावेजों और अभिलेखों के साथ दायर करके किया जाता है। फॉर्म 1 एक सारणीबद्ध रूप में है और वित्तीय ऋणदाता को मांगे गए विवरण का विवरण देना होता है। इसके अलावा, फॉर्म पर वित्तीय ऋणदाता की ओर से कार्य करने के लिए “अधिकृत व्यक्ति" द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

10. वित्तीय ऋणदाता द्वारा श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, जिन्होंने संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर किया है, को दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी को अभिलेख पर रखा गया है। 06.12.2008 को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, पावर ऑफ अटॉर्नी को 2011 में महाप्रबंधकों द्वारा निष्पादित किया गया था। उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से, श्री प्रवीण कुमार गुप्ता को बैंक द्वारा "बैंक के सभी व्यवसाय और मामलों"

के संबंध में इसके अटॉर्नी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था। भारत के भीतर और बाहर, बैंक के ऐसे सभी व्यवसायों और मामलों का संचालन और प्रबंधन करना और संचालन और प्रबंधन में सहायता करना और बैंक के व्यवसाय और मामलों को चलाने के लिए आवश्यक या उचित सभी कार्य, और चीजें करना" . इसके अलावा, श्री प्रवीण कुमार गुप्ता को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण में किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही सहित किसी भी मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही को शुरू करने, मुकदमा चलाने, समर्थन करने, बचाव करने, जवाब देने और/या विरोध करने और किसी भी मामले से संबंधित किसी भी मांग के लिए भी अधिकृत किया गया है। जिसमें बैंक को इसके बाद रुचि या चिंता हो सकती है या हो सकती है और साथ ही, ऐसे किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में समझौता करना, मध्यस्थता का संदर्भ लेना, त्यागना, निर्णय के लिए प्रस्तुत होना या अनुपयुक्त हो जाना, अवसर के रूप में वकील, सॉलिसिटर और प्लीडर नियुक्त करना आवश्यक होगा। और सभी आवेदनों, वादपत्रों, याचिकाओं, लिखित बयानों, वकालतनामों या किसी भी अन्य कागजात पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना, प्रस्तुत करना और फाइल करना समीचीन या आवश्यक है ... बनाया, हस्ताक्षरित, निष्पादित, प्रस्तुत या दायर किया जाना है।

11. एनसीएलएटी ने पालोजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने फैसले में कहा कि 'पावर ऑफ अटॉर्नी धारक' वित्तीय ऋणदाता की ओर से धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, एनसीएलएटी ने कुछ और टिप्पणियाँ कीं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

“41. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, 'वित्तीय ऋणदाता'-बैंक ने निवेदन किया है कि 30 मई, 2002 और 30 अक्टूबर, 2009 के बोर्ड के संकल्पों द्वारा, बैंक ने अपने अधिकारियों को कानूनी कार्यवाही में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। यदि किसी 'वित्तीय ऋणदाता' या 'परिचालन ऋणदाता' या 'कॉर्पोरेट आवेदक' द्वारा अपने अधिकारियों के पक्ष में 'वित्तीय ऋणदाता'/'परिचालन ऋणदाता'/'कॉर्पोरेट आवेदक' के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सामान्य प्राधिकरण बनाया गया है। अपने अधिकारी के पक्ष में, ऐसी शक्ति सौंपते समय केवल 'पावर ऑफ अटॉर्नी' शब्द का उपयोग ऐसे अधिकारी के अधिकार को नहीं छीनेगा और सभी उद्देश्यों के लिए इसे 'वित्तीय ऋणदाता' द्वारा 'प्राधिकृत व्यक्ति’ रूप में माना जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर'/'कॉर्पोरेट आवेदक' अपने अधिकारी के पक्ष में, जिसे पदनाम द्वारा भी प्रत्यायोजित किया जा सकता है। ऐसे मामले में, अधिकार प्राप्त अधिकारी ' आई एंड बी कोड' की धारा 7 या धारा 9 या धारा 10 के तहत कोई भी आवेदन दाखिल करने के उद्देश्य से 'अधिकृत प्रतिनिधि' होने का दावा कर सकता है।' एनसीएलएटी की राय थी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से वित्तीय ऋणदाता के एक अधिकारी को दिया गया सामान्य प्राधिकरण, ऐसे अधिकारी को संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दाखिल करते समय वित्तीय ऋणदाता के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने से वंचित नहीं करेगा। इसके अलावा, पालोजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में एनसीएलएटी ने माना है कि यदि अधिकारी ऋण स्वीकृत करने के लिए अधिकृत था और उसने ऐसा किया था, तो संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि कोई अलग विशिष्ट अनुमति पत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसे अधिकारी के पक्ष में वित्तीय ऋणदाता द्वारा ऐसे मामलों में, कॉर्पोरेट देनदार यह दलील नहीं दे सकता कि अधिकारी के पास ऋण स्वीकृत करने की शक्ति है, लेकिन ऐसे अधिकारी के पास पुनर्भुगतान में डिफ़ॉल्ट के बावजूद, ऋण राशि की वसूली करने या कॉर्पोरेट

दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने की कोई शक्ति नहीं है। हम पालोजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर (सुप्रा) में एनसीएलएटी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी देते हैं।

12. वर्तमान मामले में, श्री प्रवीण कुमार गुप्ता को बैंक द्वारा बैंक के सभी व्यवसाय और मामलों के संबंध में सामान्य प्राधिकरण दिया गया है, जिसमें किसी भी मांग और दाखिल करने के संबंध में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष कानूनी कार्यवाही शुरू करना शामिल है। इस संबंध में 06.12.2008 को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से प्रदान किया गया ऐसा प्राधिकरण, संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने के श्री गुप्ता के अधिकार को ख़राब नहीं करता है। अत: यह स्पष्ट है कि आवेदन किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया है और अपीलकर्ताओं की इस आधार पर आपत्ति अस्थिर है।

काल बाधित के बिंदु पर

13. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री राणा मुखर्जी ने तर्क दिया कि संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन में डिफ़ॉल्ट की तारीख 30.09.2014 दिखाई गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 25.04.2019 को दायर धारा 7 के तहत आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट की तारीख से तीन साल के भीतर दायर नहीं किया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि डेबिट बैलेंस पुष्टिकरण पत्र दिनांक 07.04.2016 के अलावा, संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन के साथ सीमा अवधि बढ़ाने वाला कोई अन्य दस्तावेज दायर नहीं किया गया है। वित्तीय ऋणदाता द्वारा यह दिखाने के लिए कोई अन्य जानकारी प्रदान नहीं की गई है कि धारा 7 के तहत आवेदन सीमा की अवधि के भीतर दायर किया गया था। आवेदन में वित्तीय ऋणदाता द्वारा संदर्भित बैलेंस शीट वित्तीय वर्ष 2015-2016 से संबंधित है जो सीमा की अवधि को नहीं बचाती है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी दलील या सबूत की अनुपस्थिति को देखते हुए कि आवेदन सीमा के भीतर दायर किया गया था, आवेदन को प्रारंभिक सीमा पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था। उनके द्वारा बाबूलाल वरधरजी गुर्जर बनाम वीर गुर्जर एल्युमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया गया|

14. जवाब में, वित्तीय ऋणदाता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आलोक कुमार ने प्रस्तुत किया कि वित्तीय ऋणदाता द्वारा दायर दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार करने में निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई थी। आगे यह कहा गया कि निर्णय प्राधिकारी के समक्ष कॉर्पोरेट देनदार द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री वर्ष 2019 तक ऋण की स्वीकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसलिए, 25.04.2019 को दायर धारा 7 के तहत आवेदन को परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में परिसीमा के आगे दाखिल नहीं माना जा सकता है।

15. संहिता की धारा 7 (1) एक वित्तीय ऋणदाता को डिफ़ॉल्ट होने पर निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर करने में सक्षम बनाती है। इसकी उपधारा (2) में प्रावधान है कि आवेदन निर्धारित प्रारूप और तरीके से होगा। उप-धारा

(3) वित्तीय ऋणदाता को किसी सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड के आधार पर या वित्तीय ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर, 14 दिनों की अवधि के भीतर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी एक डिफ़ॉल्ट के अस्तित्व का पता लगाएगा, जैसा कि उप-धारा (3) के तहत निर्धारित है। -धारा (4). उपधारा (5) के अनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के तहत दायर आवेदन को स्वीकार कर सकता है, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी संतुष्ट है कि कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है, दायर किया गया आवेदन पूरा है और उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है। उप-धारा (6) के अनुसार, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आवेदन स्वीकार होने की तारीख से शुरू होगी।

16. 2016 के नियमों के नियम 4 में यह निर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन फॉर्म 1 में दायर किया जाएगा, जिसमें आवश्यक दस्तावेजों और रिकॉर्ड होंगे जैसा कि भारतीय दिवालियापन और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है। उक्त विनियम का विनियम 2-ए वित्तीय ऋणदाता को डिफ़ॉल्ट के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, (ए) अनुभाग के खंड (3) में परिभाषित बैंकर्स बुक में संबंधित खाते में प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति जैसा कि बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, 1891 के धारा 3(2) में निर्दिष्ट है एवं (बी) किसी ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण का आदेश जिसने ऋण का भुगतान न करने पर फैसला सुनाया है, जहां ऐसे आदेश के खिलाफ अपील की अवधि समाप्त हो गई है। फॉर्म 1 एक मुद्रित प्रारूप में और पांच भागों में है, जिसमें वित्तीय ऋणदाता को अपना विवरण, कॉर्पोरेट देनदार का विवरण, प्रस्तावित अंतरिम समाधान पेशेवर और वित्तीय ऋण देना होता है। भाग IV में अपेक्षित अनुसार जिस तारीख को डिफ़ॉल्ट हुआ है वह वित्तीय ऋणदाता द्वारा प्रदान की जाएगी। फॉर्म 1 के भाग V में, वित्तीय ऋणदाता को उसमें सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे जो वित्तीय ऋण के अस्तित्व, राशि और डिफ़ॉल्ट की तारीख को साबित करने के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

17. बाबूलाल वरधरजी गुर्जर मामले में डिफ़ॉल्ट की तारीख 08.07.2011 थी, जो एनपीए की तारीख थी। आवेदन के भाग V में आवश्यक दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ वित्तीय ऋण का विवरण वित्तीय ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। चूंकि आवेदन में किसी पावती या डिफ़ॉल्ट की किसी अन्य तारीख का सुझाव देने वाला कोई आधार नहीं रखा गया था, वित्तीय ऋणदाता को बाद के चरण में इस प्रभाव से निवेदन करने की अनुमति नहीं थी कि दायर किया गया आवेदन सीमा अवधि के साथ था। उक्त तथ्य स्थिति में, बाबूलाल वरधरजी गुर्जर में इस न्यायालय ने माना कि परिसीमा अधिनियम की धारा 18 और उसके सिद्धांत लागू नहीं थे। देना बैंक बनाम सी. शिवकुमार रेड्डी एवं अन्य में, इस न्यायालय को संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन करते समय दायर की जाने वाली आवश्यक दलीलों और दस्तावेजों से निपटने का अवसर मिला था। उसमें यह देखा गया कि वित्तीय ऋणदाता केवल फॉर्म 1 में उल्लिखित विवरण ही भर सकता है और विस्तृत दलीलों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस न्यायालय का विचार था कि धारा 7 के तहत एक आवेदन की तुलना किसी मुकदमे के वादपत्र से नहीं की जा सकती। उक्त फैसले में आगे कहा गया कि धारा 7 के तहत आवश्यक दस्तावेजों को दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है , जब तक कि आवेदन को स्वीकार करने या खारिज करने का अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता।

निष्कर्ष निकालते समय, इस न्यायालय ने राय दी थी कि अत्यधिक देरी के मामले में, निर्णायक प्राधिकारी, अपने विवेक पर, अंतिम आदेश पारित करने से पहले अतिरिक्त दलीलें और/या दस्तावेज़ दाखिल करने के आवेदक के अनुरोध को अनुमति या अस्वीकार कर सकता है।

18. दायित्व की स्वीकृति के अभाव में संहिता की धारा 7 के तहत दायर एक आवेदन की पोषकता के सवाल की जांच करते हुए, इस न्यायालय ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम बिशाल जयसवाल और अन्य में दिया । वित्तीय ऋणदाता को एनसीएलएटी के समक्ष अपनी दलीलों में संशोधन करने का अवसर 1 लाख रुपये की खर्च का भुगतान करने पर दिया गया। उक्त मामले में, कॉर्पोरेट देनदार के खाते को 2010 से एनपीए घोषित कर दिया गया था। एनसीएलटी ने धारा 7 के तहत आवेदन को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि कार्रवाई में एक निरंतरता था। एनसीएलएटी ने कॉर्पोरेट देनदार की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सीमा उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन संहिता लागू हुई थी, यानी 01.12.2016। इस न्यायालय ने सीमा के प्रश्न की फिर से जांच करने के लिए मामले को एनसीएलएटी को वापस भेज दिया। रिमांड के बाद, एनसीएलएटी ने कॉर्पोरेट देनदार द्वारा दायर अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि सीमा अधिनियम की धारा 137 के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट देनदार के खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने की तारीख से तीन साल की अवधि 30.12.2017 को समाप्त हो गई थी। इस न्यायालय के समक्ष एनसीएलएटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील में, वित्तीय ऋणदाता ने तर्क दिया कि कॉर्पोरेट देनदार की ओर से स्वीकृति थी। दूसरी ओर, कॉर्पोरेट देनदार ने तर्क दिया कि देनदारी विस्तार सीमा की स्वीकृति के संबंध में एनसीएलटी या एनसीएलएटी के समक्ष कोई दलील नहीं दी गई थी। वित्तीय ऋणदाता द्वारा दलीलों में संशोधन करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि इस न्यायालय द्वारा इस तरह के संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। यह देखते हुए कि वित्तीय ऋणदाता देनदारी की स्वीकार्यता करने में चूक कर गया था लेकिन कथित रूप से देय बहुत ज्यादा रकम को देखते हुए, वित्तीय ऋणदाता को अपने तर्क के समर्थन में एनसीएलएटी के समक्ष अपनी दलीलों में संशोधन करने का मौका खर्च के भुगतान पर करने दिया गया था ।

19. परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, परिसीमा की निर्धारित अवधि के बाद दायर कोई भी मुकदमा, अपील या आवेदन परिसीमा के बचाव के रूप में स्थापित नहीं होने के बावजूद खारिज कर दिया जाएगा। संहिता की धारा 238 ए सीमा अधिनियम के प्रावधानों को निर्णय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही पर लागू करती है, जहां तक संभव हो। इसलिए, निर्णायक प्राधिकारी संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन की जांच करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य है कि क्या इस तरह के आवेदन पर परिसीमन वर्जित है, यहां तक कि परिसीमन के संबंध में किसी दलील के अभाव में भी। (देखें: नोहरलाल वर्मा बनाम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर)

20. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वित्तीय ऋणदाता की जिम्मेदारी है कि वह धारा 7 के तहत आवेदन दाखिल करते समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ देय ऋण और डिफ़ॉल्ट की तारीख से संबंधित सभी विवरण दे। संहिता 2016 के नियमों की धारा 7 , नियम 4 और फॉर्म 1 को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्णय प्राधिकारी

धारा 7 के तहत किसी आवेदन को तभी स्वीकार कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि अदायगी में चूक हुई है। संहिता की धारा 3 (12) के तहत 'डिफ़ॉल्ट' की परिभाषा उन ऋणों का भुगतान न करने को संदर्भित करती है जो कानून में "बकाया और देय" हैं, जिसका अर्थ है कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन केवल वैसे ऋणों के संबंध में ही कायम रखा जा सकता है जो समय-बाधित नहीं हैं। (देखें: बीके एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स) | डिफ़ॉल्ट का प्रथम दृष्टया मामला बनाने का प्राथमिक दायित्व वित्तीय ऋणदाता पर है। संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार करने के चरण में कॉर्पोरेट देनदार को कोई जानकारी प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानूनी रूप से वसूली योग्य ऋण का भुगतान न करने का बोझ, जो समय-बाधित नहीं है, वित्तीय ऋणदाता पर है | साथ ही, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और देना बैंक के केस में इस न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दाखिल करते समय वित्तीय ऋणदाता द्वारा जानकारी नही देने पर आवश्यक नहीं है कि आवेदन को खारिज कर दिया जाए। वित्तीय ऋणदाता को डिफ़ॉल्ट की घटना के संबंध में निर्णायक प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

21. वर्तमान मामले में, इसमें कोई विवाद नहीं है कि डिफ़ॉल्ट की तारीख 30.09.2014 है और संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन 25.04.2019 को दायर किया गया था। वित्तीय ऋणदाता के अनुसार, परिसीमा अधिनियम की धारा 18 कॉर्पोरेट देनदार द्वारा 2018 में और उसके बाद लिखे गए पत्रों के माध्यम से अपने ऋण को स्वीकार करने, चुकाई गई राशि का विवरण देने, बकाया राशि को स्वीकार करने और एक मुस्त भुगतान पर विचार करने का अनुरोध करने के मद्देनजर लागू होती है । परिसीमा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) इस प्रकार है:

लिखित रूप में अभिस्वीकृति का प्रभाव. - (1) जहां, किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी मुकदमे या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में की गई है जिसके खिलाफ ऐसी संपत्ति है या अधिकार का दावा किया जाता है, या किसी व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपना शीर्षक या दायित्व प्राप्त करता है, परिसीमा की एक नई अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जब पावती पर हस्ताक्षर किए गए थे।

अब यह विवादित नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 18 संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होती है। यदि धारा 7 के तहत आवेदन डिफ़ॉल्ट की तारीख से तीन साल की अवधि के बाद दायर किया जाता है और वित्तीय ऋणदाता कॉर्पोरेट देनदार द्वारा लिखित रूप में ऋण की अभिस्वीकृति से संबंधित आवश्यक जानकारी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है, और यदि ऐसी अभिस्वीकृति डिफ़ॉल्ट की तारीख से तीन साल की प्रारंभिक अवधि के भीतर हुई है, तो सीमा की एक नई अवधि शुरू होती है और आवेदन पर विचार किया जा सकता है, यदि इस विस्तारित अवधि के भीतर दायर किया जाता है।

22. इसमें कोई विवाद नहीं है कि इस मामले में डिफ़ॉल्ट की तारीख 30.09.2014 है, जैसा कि वित्तीय ऋणदाता ने धारा 7 के तहत अपने आवेदन में उल्लेख किया है । आवेदन के साथ डेबिट शेष पुष्टिकरण पत्र दिनांक 07.04.2016 की एक प्रति दाखिल की गई थी। चूंकि आवेदन केवल 25.04.2019 को दायर किया गया था, जो

कि डेबिट शेष पुष्टिकरण पत्र दिनांक 07.04.2016 को ध्यान में रखने के बाद भी तीन साल की अवधि से अधिक है, आवेदन काल बाधित था। परंतु कॉर्पोरेट देनदार ने निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अपने जवाब में, दिनांक 17.11.2018 का एक पत्र रिकॉर्ड में रखा था, जिसमें 30.09.2018 तक चुकाई गई राशि का विवरण था और 30.09.2018 तक बकाया राशि को स्वीकार किया गया था। इस पत्र और रिकॉर्ड के आधार पर कि कॉर्पोरेट देनदार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी ऋण की स्वीकृति के लिए विभिन्न दस्तावेजों को निष्पादित किया था, एनसीएलटी की राय थी कि आवेदन परिसीमा की अवधि के भीतर दायर किया गया था। उक्त दृष्टिकोण को एनसीएलएटी द्वारा बरकरार रखा गया था।

23. हम पहले ही मान चुके हैं कि डिफॉल्ट की घटना को प्रथम दृष्टया साबित करने का भार और संहिता की धारा 7 के तहत दायर आवेदन परिसीमा अवधि के भीतर है, पूरी तरह से वित्तीय ऋणदाता पर है। जबकि धारा 7 के तहत किसी आवेदन को स्वीकार करने का निर्णय आम तौर पर वित्तीय ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किया जाता है, निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को उस सामग्री की जांच करने से नहीं रोका जाता है जो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ऐसा आवेदन परिसीमा अवधि से परे नहीं है | निस्संदेह, वर्तमान मामले में सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार विस्तार अवधि के विस्तार को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री है और संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार करने से पहले निर्णय प्राधिकारी द्वारा ऐसी सामग्री पर विचार भी किया गया है। धारा 7 के तहत दायर आवेदन में वित्तीय ऋणदाता द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 18 की दलील नहीं दी गई है, जो इस मामले के तथ्यों में अपीलकर्ताओं के बचाव में नहीं आ सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा 7 के तहत आवेदन दाखिल करते समय वित्तीय ऋणदाता पर किसी ऋण के संबंध में प्रथम दृष्टया डिफ़ॉल्ट प्रदर्शित करने का दायित्व, जो समय-बाधित नहीं है, को यहां कम करने की कोशिश नहीं की गई है। वर्तमान मामले में, यदि अप्रैल, 2016 के बाद के ऋण की अभिस्वीकृति कॉर्पोरेट देनदार द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया होता तो, परिसीमा अवधि के विस्तार के आवेदन को, वित्तीय ऋणदाता द्वारा निर्णय पदाधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 18 के अनुप्रयोग के अभाव में खारिज कर दिए जाने योग्य होता।

24. उपरोक्त के मद्देनजर, अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज

आनंद प्रकाश